न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–494 / 2025 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. केशर बाई पुत्री धुला पत्नि हेमा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी श्रीनगर हाल मुकाम शेल तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज०)

– प्रार्थीया

बनाम

1. गणेश पुत्र धुला जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. लादू पुत्र धुला जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. सुरजमल पुत्र धुला जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. जगदीश गाडरी पुत्र गणेश गाडरी आयु वयस्क निवासी श्रीनगर, कोदूकोटा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. जग्गा पुत्र भैरूलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी श्रीनगर, कोदूकोटा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. रघुनाथ पुत्र बक्षा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गाडरी मोहल्ला, पुरावतो का आकोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
8. उप–पंजीयक, भीलवाड़ा प्रथम व द्वितीय
9. नायब तहसीलदार एवं उप–पंजीयक, सुवाणा जिला भीलवाडा (राज०)

– विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 रा०टि०एक्ट
बाबत् घोषणा, इन्द्राज दूरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि० एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागण–

1. श्री श्रवण कुमार सेन :– प्रार्थी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांकः– 22/12/2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन द्वारा दिनांक 25.08.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 494 / 2025 पर दर्ज किया जाकर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त उनवान का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि काफी ठोस तथ्यो पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्री होगा।

प्रार्थीया एवं विपक्षीगण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है :–

धुला पिता महाराम

गणेश (पुत्र)	लादू (पुत्र)	सूरजमल (पुत्र)	केशर बाई (पुत्री)

22/12/26

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

ग्राम कोदूकोटा प०ह० कोदूकोटा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 1016 की आराजी संख्या 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 3926/380, 393, 394, 396, 397 कुल किता 14 कुल रकबा 2.4405 हैक्टयर, खाता संख्या 1242 की आराजी संख्या 159 रकबा 0.7208 हैक्टयर, खाता संख्या 1015 की आराजी संख्या 402 रकबा 0.0379 हैक्टयर, खाता संख्या 1017 की आराजी संख्या 60 रकबा 0.2276 हैक्टयर, खाता संख्या 1014 की आराजी संख्या 386/1, 395/1, 396/1, 398/1 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1707 हैक्टयर एवं खाता संख्या 317 की आराजी संख्या 158 रकबा 1.0242 हैक्टयर स्थित है।

ग्राम श्रीनगर प०ह० कोदूकोटा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 91 की आराजी संख्या 2442, 2453, 2458, 2459/1, 2462/1 कुल किता 05 कुल रकबा 1.0116 हैक्टयर स्थित है।

ग्राम गोकुलपुरा प०ह० कोदूकोटा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 173 की आराजी संख्या 2921/2, 2950, 2953 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2518 हैक्टयर स्थित है।

खाता संख्या 1016 कुल किता 14 कुल रकबा 2.4405 हैक्टेयर, खाता संख्या 1242 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7208 हैक्टेयर, खाता संख्या 1015 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खाता संख्या 1017 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खाता संख्या 1014 कुल किता 04 कुल रकबा 0.1707 हैक्टेयर, खाता संख्या 317 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि ग्राम कोदूकोटा में स्थित है। खाता संख्या 91 कुल किता 05 कुल रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि ग्राम श्रीनगर में स्थित है एवं खाता संख्या 173 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2518 हैक्टेयर भूमि ग्राम गोकुलपुरा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजियात प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की पैतृक सम्पति होकर धुला पिता महाराम के समय की है। धुला की मृत्यु के बाद विरासत का जो नामान्तकरण खोला गया, वह केवल विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के नाम खोला गया, जबकि धुला की जायन्दा पुत्री केशर बाई जिवित थी, जिनके नाम पर भी धुला की विरासत में नाम दर्ज होनी चाहिऐ थी, किन्तु विपक्षी संख्या 01 लगातय 03 ने पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियो से मिला भगती कर, धुला की विरासत में विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 ने अपने नाम ही दर्ज करवाई है. जबकि केशर बाई धुला की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारीस है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद विरासतीय अधिकार से हक व हिस्सा रखती है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में धुला की विरासत में प्रार्थीया का नाम दर्ज नही हुआ, जबकि प्रार्थीया का अपने भाईयो के बराबर हक व हिस्सा आता है। उसी अनुसार प्रार्थीया अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करती आ रही है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज नही होने से राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्थी की जाकर प्रार्थीया का नाम अंकित किया जावें तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरे के अनुसार धुला के कुल 04 वारीस गणेश, लादू, सुरजमल पुत्र एवं केशर बाई पुत्री हुई, जिनका धुला की सम्पति में बराबर हक व हिस्सा यानि धुला के प्रत्येक वारीसान का 1/4–1/4 हक व हिस्सा आता है। धुला की सम्पति ग्राम कोदूकोटा में स्थित है, जो कि खाता संख्या 1016 कुल किता 14 कुल रकबा 2.4405 हैक्टेयर में धुला का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में वादिया को 1/12 वां हिस्सा का, खाता संख्या 1242 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7208 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण धुला के हिस्से की है, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का, खाता संख्या 1015 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर में धुला का 1/2 हिस्सा निहित था, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में वादिया को 1/8 वां हिस्सा का, खाता संख्या 1017 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण धुला के हिस्से की है, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का, खाता संख्या 1014 कुल किता 04 कुल रकबा 0.1707 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण धुला के समय की है, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का, खाता संख्या 317 कुल

उपखण्ड अधिकारी

किता 01 कुल रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि में धुला का 1/2 हिस्सा निहित था. जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का यानि सम्पूर्ण भूमि में वादिया को 1/8 वां हिस्सा का एवं ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 91 कुल किता 05 कुल रकबा 1.0116 हैक्टेयर धुला के हक व हिस्से की है, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का एवं ग्राम गोकुलपुरा के खाता संख्या 173 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2518 हैक्टेयर भूमि धुला के हिस्से की है जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करवा राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी करवाने की वादिया अधिकारी है।

विवादग्रस्त भूमि धुला के समय की है, जो कि वादिया की पैतृक भूमि है। जिसमें वादिया का हक व हिस्सा निहित है व विरासतीय अधिकार से वादिया मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करती आ रही है, लेकिन प्रतिवादीगण की नियत में बदनियती आ जाने से, आपस में मिला भगती कर, वादिया को हक व हिस्सा नहीं देने के आशय से ग्राम कोदूकोटा में स्थित खाता संख्या 1242 में प्रतिवादी संख्या 02 लादू ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुए, प्रतिवादी संख्या 06 रघुनाथ गाडरी को विक्रय कर दिया व प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने भी अपना 1/3 हिस्सा मानते हुए, प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया, खाता संख्या 1015 में प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने अपना 1/6 वां हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है। खाता संख्या 1017 में प्रतिवादी संख्या 02 लादू ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 05 जग्गा गाडरी को विक्रय कर दिया है व प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने भी अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है। खाता संख्या 1014 में प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है। खाता संख्या 317 में प्रतिवादी संख्या 02 लादू ने अपना 1/6 वां हिस्सा मानते हुऐ, प्रतिवादी संख्या 06 रघुनाथ गाडरी को विक्रय कर दिया है। इसी प्रकार ग्राम श्रीनगर में स्थित खाता संख्या 91 में प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ, प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है। इसी प्रकार ग्राम गोकुलपुरा में स्थित खाता संख्या 173 में प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है, जो कि प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 ने अपने हक व हिस्से से भी अधिक यानि वादिया के हक व हिस्से की भूमि का भी बेचान कर दिया है, जो कि वादिया के हक अधिकार के मुकाबले में प्रारम्भ से ही बेअसर है, किन्तु विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण अपने नाम पर दर्ज होने एवं अपने पक्ष में हुऐ विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण वादिया को मौके से बेदखल कर, अन्य व्यक्तियो को अन्तरण करने पर आमादा है, जिसके लिए हाल में दिनांक 15.06.2025 को प्रतिवादीगण हम सलाह होकर, वादिया को धमकी दी, कि मौके से कब्जा हटा लेना अन्यथा जबरन अपने शक्ति बल से मौके से बेदखल, अन्य व्यक्तियो को अन्तरित कर देगें। जिससे वादिया को प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। अतः वादिया की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्व घौषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 15.06.2025 को प्रतिवादीगण हम सलाह होकर, वादिया को धमकी दी, कि मौके से कब्जा हटा लेना अन्यथा जबरन अपने शक्ति बल से मौके से बेदखल, अन्य व्यक्तियो को अन्तरित कर देने की दिनांक 15.06.2025 से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है चूँकि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के पिता धुला की है। जिस पर प्रार्थीया विरासतीय अधिकार से मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करती आ रही है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज नही होने का विपक्षीगण द्वारा फायदा उठाया जा रहा है व प्रार्थीया का मौके से बेदखल कर, अन्य व्यक्तियो को अन्तरित करने पर आमादा है, यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को मौके से बेदलख कर, अन्य व्यक्तियो को अन्तरित कर दिया गया तो अधिकाधिक –विवाद उत्पन्न होगा, जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया को ही होगी। अतः प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया को ही होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

२२/५/२५

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद, के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वादग्रस्त आराजियात में धुला पिता महाराम के हक व हिस्से की भूमि में प्रार्थीया के 1/4 हक व हिस्सा के उपयोग–उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही अन्य से करावें, मौके से बेदखल नही करें, विपक्षी संख्या 07 व 09 राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, विपक्षी संख्या 08 व 09 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करें, मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 के सम्मन रजिस्टर्ड ए0डी0 डिलीवरी रिपोर्ट दिनांक 04.12.2025 को प्राप्त हुए।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब दिनांक 22.05.2026 को बंद किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 01, 03 लगायत 06 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 22.05.2026 को प्रतिवादी संख्या 01, 03 लगायत 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला:–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की पैतृक आराजियात होकर ग्राम कोदूकोटा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1016 की आराजी संख्या 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 3926/380, 393, 394, 396, 397 कुल किता 14 कुल रकबा 2.4405 हैक्टयर, खाता संख्या 1242 की आराजी संख्या 159 रकबा 0.7208 हैक्टयर, खाता संख्या 1015 की आराजी संख्या 402 रकबा 0.0379 हैक्टयर, खाता संख्या 1017 की आराजी संख्या 60 रकबा 0.2276 हैक्टयर, खाता संख्या 1014 की आराजी संख्या 386/1, 395/1, 396/1, 398/1 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1707 हैक्टयर एवं खाता संख्या 317 की आराजी संख्या 158 रकबा 1.0242 हैक्टयर स्थित है। ग्राम श्रीनगर प०ह० कोदूकोटा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 91 की आराजी संख्या 2442, 2453, 2458, 2459/1, 2462/1 कुल किता 05 कुल रकबा 1.0116 हैक्टयर स्थित है। ग्राम गोकुलपुरा प०ह० कोदूकोटा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 173 की आराजी संख्या 2921/2, 2950, 2953 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2518 हैक्टयर स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के पिता धुला पिता महाराम के समय से चली आ रही है इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की पुश्तैनी होकर प्रार्थीया का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की पैतृक कृषि आराजियात है जो प्रार्थी के पिता धुला पिता महाराम की विरासत से विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। अतः प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजीयात में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से ही हक हिस्सा है। अतः प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी प्रमाणित होता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूरणीय क्षति–

उक्त दोनों बिन्दुओं का पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि धुला के कुल 04 वारीस गणेश, लादू, सुरजमल पुत्र एवं केशर बाई पुत्री हुई, जिनका धुला की सम्पति में बराबर हक व हिस्सा यानि धुला के प्रत्येक वारीसान का 1/4–1/4 हक व हिस्सा आता है। धुला की सम्पति ग्राम कोदूकोटा में स्थित है, जो कि खाता संख्या 1016 कुल किता 14 कुल रकबा 2.4405 हैक्टेयर में धुला का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में वादिया को 1/12 वां हिस्सा का, खाता संख्या 1242 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7208 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण धुला के हिस्से की है, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का, खाता संख्या 1015 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर में धुला का 1/2 हिस्सा निहित था, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में वादिया को 1/8 वां हिस्सा का, खाता संख्या 1017 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण धुला के हिस्से की है, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का, खाता संख्या 1014 कुल किता 04 कुल रकबा 0.1707 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण धुला के समय की है, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का, खाता संख्या 317 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि में धुला का 1/2 हिस्सा निहित था. जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का यानि सम्पूर्ण भूमि में वादिया को 1/8 वां हिस्सा का एवं ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 91 कुल किता 05 कुल रकबा 1.0116 हैक्टेयर धुला के हक व हिस्से की है, जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा का एवं ग्राम गोकुलपुरा के खाता संख्या 173 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2518 हैक्टेयर भूमि धुला के हिस्से की है जिसमें वादिया को 1/4 हिस्सा इसी हक हिस्से निहित है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के नाम दर्ज होने से ग्राम कोदूकोटा में स्थित खाता संख्या 1242 में प्रतिवादी संख्या 02 लादू ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुए, प्रतिवादी संख्या 06 रघुनाथ गाडरी को विक्रय कर दिया व प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने भी अपना 1/3 हिस्सा मानते हुए, प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया, खाता संख्या 1015 में प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने अपना 1/6 वां हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है। खाता संख्या 1017 में प्रतिवादी संख्या 02 लादू ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 05 जग्गा गाडरी को विक्रय कर दिया है व प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने भी अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है। खाता संख्या 1014 में प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है। खाता संख्या 317 में प्रतिवादी संख्या 02 लादू ने अपना 1/6 वां हिस्सा मानते हुऐ, प्रतिवादी संख्या 06 रघुनाथ गाडरी को विक्रय कर दिया है। इसी प्रकार ग्राम श्रीनगर में स्थित खाता संख्या 91 में प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ, प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है। इसी प्रकार ग्राम गोकुलपुरा में स्थित खाता संख्या 173 में प्रतिवादी संख्या 03 सुरजमल ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 04 जगदीश गाडरी को विक्रय कर दिया है, जो कि प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 ने अपने हक व हिस्से से भी अधिक यानि वादिया के हक व हिस्से की भूमि का भी बेचान कर दिया है, जो कि वादिया के हक अधिकार के मुकाबले में प्रारम्भ से ही बेअसर है। विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण अपने नाम पर दर्ज होने एवं अपने पक्ष में हुऐ विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण वादिया को मौके से बेदखल कर, अन्य व्यक्तियो को अन्तरण करने पर आमादा है, जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीया अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जाएगी, जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है।

21/5/24

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा वादग्रस्त भूमि को वादप्रस्तुतीकरण से पूर्व अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 06 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करवाया गया। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का अंतरण नहीं होने दे। यदि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा शेष भूमि का भी अंतरण दीगर व्यक्तियों को कर दिया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 06 द्वारा विक्रय विलेख से धारित भूमि का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया जाता है तो नवीन वादकारण उत्पन्न होंगे और नवीन वादों की श्रृंखला प्रारम्भ हो जाएगी। न्यायालय का यह दायित्व है कि वादों की श्रृंखला को रोके। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रही है। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वादग्रस्त भूमि का दौराने वाद अंतरण नहीं होने दे तथा नवीन वादकारण को रोकने हेतु उचित कार्यवाही करे। न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक दायित्व की पूर्ति किये जाने हेतु प्रार्थीया के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और ग्राम कोटूकोटा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 1016 की आराजी संख्या 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 3926/380, 393, 394, 396, 397 कुल किता 14 कुल रकबा 2.4405 हैक्टयर, खाता संख्या 1242 की आराजी संख्या 159 रकबा 0.7208 हैक्टयर, खाता संख्या 1015 की आराजी संख्या 402 रकबा 0.0379 हैक्टयर, खाता संख्या 1017 की आराजी संख्या 60 रकबा 0.2276 हैक्टयर, खाता संख्या 1014 की आराजी संख्या 386/1, 395/1, 396/1, 398/1 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1707 हैक्टयर एवं खाता संख्या 317 की आराजी संख्या 158 रकबा 1.0242 हैक्टयर, ग्राम श्रीनगर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 91 की आराजी संख्या 2442, 2453, 2458, 2459/1, 2462/1 कुल किता 05 कुल रकबा 1.0116 हैक्टयर एवं ग्राम गोकुलपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 173 की आराजी संख्या 2921/2, 2950, 2953 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2518 हैक्टयर भूमि के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ हमफिता की जावे।

22/5/26

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा